[2021] 7 एस.सी.आर. 667

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

बनाम

प्रियंका और अन्य, आदि।

(2021 की सिविल अपील संख्या 5065-5095)

1 सितंबर, 2021

[विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति]

सेवा कानून - नियुक्ति - अपीलार्थी/आयोग ने स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए योग्यता डिग्री, बी.एड. थी - आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12.10.2015 थी - आवश्यकता यह थी कि आवेदन जमा करने की तिथि को उम्मीदवार को बी.एड. पास होना चाहिए - व्यक्तिगत प्रत्यर्थी (पद के लिए उम्मीदवार) बी.एड. परीक्षा में उपस्थित हुए थे - चूंकि, अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया था, इसलिए व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी बी.एड. परीक्षा का अनंतिम/गोपनीय परिणाम प्रदान किए गए थे, जो 12.10.2015 से पहले था - एकमात्र आधार जिस पर अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था, वह यह था कि व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों/उम्मीदवारों का परिणाम अंतिम तिथि, यानी 12.10.2015 से पहले संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया था - अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थियों ने रिट याचिकाएं दायर कीं - उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: जब तक विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित अनंतिम/गोपनीय परिणाम की प्रामाणिकता संदेह में नहीं है, जिसकी वर्तमान मामले में अपीलार्थी/आयोग द्वारा किए गए अनुरोध पर विश्वविद्यालयों द्वारा पुष्टि की गई थी, तब तक उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से न्यायोचित है - यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी अंतिम तिथि पर योग्य नहीं थे, जो कि 12.10.2015 थी, क्योंकि अनंतिम/गोपनीय परिणाम संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त तिथि से पहले उम्मीदवारों के पक्ष में घोषित किया गया था और ऐसे अनंतिम/गोपनीय परिणाम के साथ प्रत्यर्थियों द्वारा आवेदन समय के भीतर दायर किए गए थे - इस हद तक आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है - हालाँकि, अपीलार्थी/आयोग को अपने नियमों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए उच्च

न्यायालय का निर्देश इस हद तक अभिखंडित किया जाता है कि पात्रता की तारीख जांच या साक्षात्कार की तारीख के अनुसार होनी चाहिए।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2021 की सिविल अपील संख्या 5065-5095

2018 की एल.पी.ए. संख्या 362, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 425, 427, 434, 435, 436, 437, 439, 442, 443, 470, 517, 571, 572, 591, 613 और 968 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.08.2018 के निर्णय और आदेश से।

मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्तागण, अपीलार्थी के लिए।

पी.एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री गरिमा बजाज, सुश्री हर्षिता वर्मा, अग्निश आदित्य, निखिल बमाल, राजीव मंगला, प्रदीप कुमार कौशिक, डॉ. सुनील कुमार, समीर सिंह, नीलम सिंह, संदीव कालिया, सतबीर सिंह पिल्लानिया, सुश्री रीना राव, डॉ. सुशील बलवाड़ा, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

अनुमति प्रदान की गई।

अपीलार्थी ने स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए योग्यता डिग्री बी.एड. थी। विज्ञापन 28.06.2015 पर जारी किया गया था और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12.10.2015 थी। आवश्यकता यह थी कि आवेदन जमा करने की तारीख को उम्मीदवार को बी.एड. उत्तीर्ण होना चाहिए था।

इस मामले में निर्विवाद तथ्य यह है कि व्यक्तिगत प्रत्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालयों की बी.एड. परीक्षा में उपस्थित हुए थे और हालांकि अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया था, लेकिन व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों (पद के लिए उम्मीदवार) को उनकी मांग पर, संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी बी.एड. परीक्षा का अनंतिम/गोपनीय परिणाम प्रदान किया गया था, जो 12.10.2015 से पहले थी। व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों/उम्मीदवारों को प्रदान किए गए ऐसे अनंतिम/गोपनीय परिणाम के आधार पर, उन्होंने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद के लिए आवेदन किया, जो कि 12.10.2015 थी। ऐसे तथ्य हमारे समक्ष विवाद में नहीं हैं।

अपीलार्थी/आयोग द्वारा व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों की उम्मीदवारी को खारिज करने का एकमात्र आधार यह है कि व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों/उम्मीदवारों का परिणाम संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया था, अर्थात 12.10.2015, और अनंतिम/गोपनीय परिणाम (प्रमाण पत्र) जो व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों/उम्मीदवारों के पक्ष में जारी किए गए थे, इस प्रकार वह आधार नहीं हो सकता था जिस पर वे दिनांकित 28.06.2015 के विज्ञापन के जवाब में आवेदन कर सकते थे।

अस्वीकृति के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थियों ने रिट याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी और उसके बाद अपीलार्थी/आयोग द्वारा दायर अंतर-न्यायालय अपीलों में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी। उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अपील के लिए विशेष अनुमति दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

हमने कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ ही प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थियों/मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री पी.एस. पटवालिया विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री गरिमा बजाज विद्वान ए.ओ.आर. को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

उच्च न्यायालय और हमारे समक्ष जो संक्षिप्त सवाल उठाया गया था, वह यह है कि क्या विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित अनंतिम/गोपनीय परिणाम वैध रूप से घोषित परिणाम होगा या नहीं। इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया है और इसे उम्मीदवारों के पक्ष में अभिनिर्धारित किया गया है। हमारे विचार में भी, जब तक विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित अनंतिम/गोपनीय परिणाम की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं है, जिसकी वर्तमान मामले में विश्वविद्यालयों द्वारा अपीलार्थी/आयोग द्वारा किए गए अनुरोध पर पुष्टि की गई है, तब तक उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से न्यायोचित है। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी अंतिम तिथि पर योग्य नहीं थे, जो कि 12.10.2015 थी, क्योंकि संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त तिथि से पहले उम्मीदवारों के पक्ष में अनंतिम/गोपनीय परिणाम घोषित किए गए थे और ऐसे अनंतिम/गोपनीय परिणाम के साथ प्रत्यर्थियों द्वारा आवेदन समय के भीतर दायर किए गए थे। इस प्रकार, इस हद तक, हम इन अपीलों में आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

श्री मनिंदर सिंह ने तब बताया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी/आयोग को अपने नियमों में इस हद तक उपयुक्त संशोधन करने का निर्देश/सलाह दी है कि पात्रता की तारीख जांच या

साक्षात्कार की तारीख के अनुसार होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा जो अपीलार्थी/आयोग को आहत करता है, नीचे दिया गया हैः

> "..... इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आसानी से नियमों और/या शर्तों में संशोधन कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्रता की तारीख स्क्रीनिंग या साक्षात्कार की तारीख के रूप में देखी जाए। कुछ संस्थान पहले ही ऐसा कर चुके हैं।
>
> इसलिए, हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ-साथ हरियाणा राज्य को निर्देश देते हैं कि भविष्य के लिए, इस न्यायालय की सिफारिशों पर विचार किया जाए कि शैक्षिक योग्यता की पात्रता पर जांच या साक्षात्कार के समय विचार किया जाना चाहिए ताकि जिन उम्मीदवारों के परिणाम देर से घोषित किए जाते हैं, वे पीड़ित न हों और उक्त पद और संभावित चयन के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका न खोएं।"

हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देश वर्तमान मामले में आवश्यक नहीं थे। इस तरह हमारी राय में, चूंकि उक्त प्रश्न मुद्दे में नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय को उपरोक्त निर्देश नहीं देना चाहिए था। हम, इसलिए, उपरोक्त उद्धृत निर्णय के हिस्से में जारी किए गए उपरोक्त निर्देशों को अभिखंडित करते हैं।

उपरोक्त के अधीन, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

सभी लंबित हस्तक्षेप आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

चूंकि इस न्यायालय ने दिनांक 27.11.2018 के अंतरिम आदेश के माध्यम से निर्देश दिया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग/अपीलार्थी द्वारा 90 पदों को खाली रखा जाए, यानी इसमें व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों के लिए 74 पद और हस्तक्षेप करने वालों के लिए शेष 16 पद जिन्होंने तब तक हस्तक्षेप आवेदन दायर किए थे, हम निर्देश देते हैं कि उक्त 90 पदों को आज से चार सप्ताह के भीतर 74 व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों और 16 हस्तक्षेपकर्ताओं (जिन्होंने दिनांक 27.11.2018 के आदेश के पारित होने से पहले हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है) को दिया जाए और उन्हें बिना किसी देरी के उचित सत्यापन पर नियुक्ति दी जाएगी।

यह भी प्रावधान किया गया है कि उपरोक्त 90 उम्मीदवारों को उन उम्मीदवारों के ठीक नीचे रखा जाएगा जो पहले ही शामिल हो चुके हैं और 90 उम्मीदवारों की वरिष्ठता उनके बीच योग्यता के आधार पर होगी। प्रत्यर्थी उस अवधि के लिए किसी भी वेतन के हकदार नहीं होंगे जब उन्होंने काम नहीं किया है, और वे केवल वृद्धि, यदि कोई हो, के साथ अपनी उचित वरिष्ठता के हकदार होंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की तारीख से वैचारिक रूप से

मानी जाएगी जिन्हें पहले दिनांकित 28.06.2015 के विज्ञापन के जवाब में चुना और नियुक्त किया गया था।

अंकित ज्ञान याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.